

न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी जिला कलक्टर बाड़मेर

सूचना अधिकार अपील/42/2022

अपीलांत अवतार सिंह
निवासी आकाशवाणी रोड दानजी की होदी बाड़मेर

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी जिला रसद अधिकारी बाड़मेर

आदेश

दिनांक : 02.05.2022

अपीलार्थी अवतार सिंह निवासी आकाशवाणी रोड दानजी की होदी बाड़मेर ने यह प्रथम अपील उत्तरदाता जिला रसद अधिकारी बाड़मेर के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत इस कार्यालय में दिनांक 07.04.2022 को प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना-पत्र व्यक्तिशः उपस्थित होकर/पंजीबद्ध डाक द्वारा प्रस्तुत कर उनके कार्यालय से सम्बन्धित सूचना चाही गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर वांछित सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, फलस्वरूप यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के संलग्न राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत ऑनलाईन प्रार्थना पत्र एवं शुल्क की प्रति दिनांक 07.07.2021 का प्रतिपण संलग्न किया गया है।

अपीलार्थी की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट राज्य लोक सूचना अधिकारी जिला रसद अधिकारी बाड़मेर को जरिये नोटिस मय अपील की प्रति भिजवाते हुए टिप्पणी रिपोर्ट चाही गई। रेस्पोंडेंट द्वारा निर्धारित सुनवाई तिथि को टिप्पणी प्रस्तुत कर प्रकट किया है कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना कार्यालय के पत्र क्रमांक 226 दिनांक 25.06.2021 के द्वारा भिजवाई जा चुकी है। लिहाजा अपील दाखिल दफ्तर फरमाई जावें।

हमने अपीलांत की अपील, रेस्पोंडेंट की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलांत को जारी पत्राचार का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी के जवाब एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के अवलोकन से पाया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रार्थी को भिजवाते हुए रेस्पोंडेंट द्वारा प्रार्थना-पत्र का नियमानुसार निस्तारण किया चुका है। अतः रेस्पोंडेंट के जवाब का अपील मीमो के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन एवं विवेचन उपरांत अपीलार्थी की यह अपील सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः अपीलांत की यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित हो।

आदेश आज दिनांक 02.05.2022 को न्यायालय में सुनाया गया।



प्रथम अपील प्राधिकारी
जिला कलक्टर बाड़मेर

जिला कलक्टर

बाड़मेर